UPET010003352008

<u>न्यायालयः विशेष न्यायाधीश (उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–03, एटा।</u>

उपस्थित – 'कमालुद्दीन' उच्चतर न्यायिक सेवा

J.O. Code U.P. 2690

जी0 एस0 टी0 संख्या–568/2008

उ0प्र0 राज्य

-----अभियोजन पक्ष

–बनाम–

1– दुर्गपाल पुत्र गंगा सिंह
निवासी–मीरापुर, थाना मारहरा, जिला एटा।
2– मानपाल पुत्र कन्ही लोधी
निवासी–अजबपुर, थाना मिरहची, जिला एटा।
3– पूरन उर्फ पुन्नी पुत्र भरत सिंह
निवासी–अजबपुर, थाना मिरहची, जिला एटा।

---------अभियुक्तगण

अपराध संख्या–270/2008
आरोप पत्र की धारा–2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986
थाना–मिरहची, जिला एटा।

संक्षिप्त विवरण	
जी0 एस0 टी0 संख्या	568/2008
अपराध संख्या	270/2008
धारा	2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986
थाना	मिरहची
अभियुक्त	दुर्गपाल, मानपाल एवं पूरन उर्फ पुन्नी
प्रतिनिधित्व (अभियोजन)	श्री अरूण माहेश्वरी एवं श्री रक्षपाल सिंह शाक्य, विद्वान विशेष लोक अभियोजक
प्रतिनिधित्व (अभियुक्त)	श्री इन्द्रपाल वर्मा, एडवोकेट
घटना की तिथि	भिन्न–भिन्न
प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराये जाने की तिथि	31.08.2008
आरोप पत्र संख्या व प्रेषण की तिथि	आरोप पत्र संख्या–150/2008, दिनांक 20.11.2008

Digitally signed by KAMALUDDIN
Date: 2026.05.05 13:02:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रसंज्ञान की तिथि	17.12.2008
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	04.07.2009
निर्णय की तिथि	05.05.2026
निर्णय का परिणाम	दोषमुक्त

–निर्णय–

1– जी०एस०टी० संख्या–568/2008, राज्य बनाम दुर्गपाल आदि, अ0सं0–270/2008, अन्तर्गत धारा–2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986, थाना मिरहची, जिला एटा में अभियुक्तगण दुर्गपाल, मानपाल एवं पूरन उर्फ पुन्नी का इस न्यायालय द्वारा विचारण किया गया।

2– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एस०ओ० इन्द्रेश कुमार सिंह, थाना मिरहची ने दिनांक 31.08.2008 को जुबानी सूचना थाना मिरहची, एटा पर इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि–

दिनांक 31.08.2008 को वह एस०ओ० इन्द्रेश कुमार सिंह मय हमराही कां० 509 राजकुमार व कां० 350 नरोत्तम प्रसाद मय जीप सरकारी चालक बोधपाल सिंह के रवानाशुदा रपट नं०–26, समय 16:30 बजे तारीखी इमरोजा से वाद वाहन चैकिंग व तलाश वांछित अपराधी व देखरेख शान्ति व्यवस्था इलाका से वापस आया। दौराने देखरेख शान्ति व्यवस्था मालूमात हुआ कि गैंगलीडर दुर्गपाल पुत्र गंगाराम निवासी मीरापुर, थाना मारहरा, जिला एटा व इनके गैंग के सक्रिय सदस्य मानपाल पुत्र कन्ही व पुन्नी उर्फ पुरन पुत्र भरत सिंह निवासीगण अजबपुर, थाना मिरहची जिला एटा अपना संगठित गिरोह बनाकर थाना क्षेत्र व जनपद के अन्य थाना क्षेत्रों में हत्या व हत्या का प्रयास एवं धमकी से धन उपार्जित करने जैसे जघन्य अपराध करते हैं। उपरोक्त सभी शातिर किस्म के आदी अपराधी है। इनके कृत्यो से थाना क्षेत्र एवं थाना अन्य क्षेत्र के लोग भयभीत आतंकित है। इनके विरुद्ध जनता का कोई भी व्यक्ति सहज अभियोग दर्ज कराने एवं गवाही देने को तैयार नहीं होता है। इनके क्रियाकलापों से सभी प्रकार की कानून एवं लोक व्यवस्था भंग होती जा रही है। इनका क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से जनहित एवं प्रशासनिक हित में नहीं है। लोक एवं कानूनी व्यवस्था बनाये रखने हेतु इनके क्रियाकलापों की क्रियान्वयन हेतु उ०प्र० गिरोहबन्द अधिनियम 1986 की धारा 2/3 के तहत कार्यवाही नितान्त आवश्यक है। कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारीगण द्वारा गैंगचार्ट अनुमोदित किया गया है। इनके विरुद्ध अपराध हस्व जैल अपराध पंजीकृत है:–गैंगलीडर दुर्गपाल पुत्र गंगाराम के विरूद्ध मु०अ०सं०–189/2008, धारा 302 भा०दं०सं०, थाना मिरहची, जिला एटा, मु०अ०सं०–265/2008, धारा 384,506 भा०दं०सं०, थाना मिरहची, जिला एटा, मानपाल पुत्र कन्ही लोधी राजपूत के विरूद्ध मु०अ०सं०–189/2008, धारा 302 भा०दं०सं०, थाना मिरहची, जिला एटा, मु०अ०सं०–265/2008, धारा 384,506 भा०दं०सं०, थाना मिरहची, जिला एटा, अभियुक्त पूरन उर्फ पुन्नी पुत्र भरत सिंह के विरूद्ध मु०अ०सं०–189/2008, धारा 302 भा०दं०सं०, थाना मिरहची, जिला एटा, मु०अ०सं०–265/2008, धारा 384,506 भा०दं०सं०, थाना मिरहची, जिला एटा।

3– मु०अ०सं०–189/2008, धारा 302 भा०दं०सं०, थाना मिरहची, जिला एटा बनाम दुर्गपाल, मानपाल एवं पूरन उर्फ पुन्नी, मु०अ०सं०–265/2008, धारा 384,506 भा०दं०सं०, थाना मिरहची, जिला एटा बनाम दुर्गपाल, मानपाल एवं पूरन उर्फ पुन्नी के प्रकरण के आधार पर

तथा उपरोक्त जुबानी सूचना पर अ0सं0–270/2008, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम दुर्गपाल, मानपाल एवं पूरन उर्फ पुन्नी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी, जिसकी चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–01** दिनांक 31.08.2008 को अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध किता की गयी तथा अपराध का खुलासा जी0डी0 रपट नं0–32, समय 18:30 पी०एम० बजे पर किया गया।

4– प्रकरण की विवेचना विवेचक को सुपुर्द की गयी। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा बयान वादी व गवाहान व गैंगचार्ट के आधार पर मामले की विवेचना पूर्ण होने के उपरान्त अभियुक्तगण दुर्गपाल, मानपाल एवं पूरन उर्फ पुन्नी के विरूद्ध धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का अपराध बनने पर उनके विरूद्ध तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा से आरोप पत्र प्रेषित किये जाने की अनुमति **प्रदर्श क–04** प्राप्त कर, विवेचक द्वारा आरोप पत्र **प्रदर्श क–03**, दिनांकित 20.11.2008 विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायाधीश/उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, आगरा द्वारा दिनांक 17.12.2008 को प्रसंज्ञान लिया गया।

5– न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण दुर्गपाल, मानपाल एवं पूरन उर्फ पुन्नी के विरूद्ध धारा–2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1986 का आरोप दिनांक 04.07.2009 को विरचित किया गया, जिसे अभियुक्तगण द्वारा अस्वीकार किया गया और विचारण की मांग की।

6– अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध अधिरोपित आरोपों को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में 04 साक्षीगण को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है, जो इस प्रकार है:–

अभियोजन साक्षी का क्रम संख्या	**अभियोजन साक्षी का नाम**	**विवरण**
अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–01	रामप्रकाश	हेड मोहर्रिर
अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–02	निरीक्षक इन्द्रेश कुमार भदौरिया	वादी/शिकायतकर्ता
अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–03	निरीक्षक शैलेश त्यागी	विवेचक
अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–04	कौशल्या	स्वतंत्र साक्षी

7– अभियोजन की ओर से अपने कथानक के समर्थन में निम्न लिखित प्रलेखों को प्रस्तुत कर साबित कराया गया है:–

क्रम सं0	**प्रपत्र का नाम**	**प्रदर्श संख्या**	**अभियोजन साक्षी का विवरण, जिनके द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता को सिद्ध किया गया है।**
1	चिक एफ०आई०आर०	प्रदर्श क–01	पी०डब्लू0–01 एम०एम० 48 रामप्रकाश

2	गैंगचार्ट	प्रदर्श क–02	पी०डब्लू0–02 वादी निरीक्षक इन्द्रेश कुमार भदौरिया
3	आरोप पत्र संख्या–96/2008, अ०सं०–189/2008	प्रदर्श क–03	पी०डब्लू०–02 वादी निरीक्षक इन्द्रेश कुमार भदौरिया
4	आरोप पत्र संख्या–150/2008, अ०सं०–270/2008	प्रदर्श क–3 ए	पी०डब्लू०–03 विवेचक निरीक्षक शैलेश त्यागी
5	अभियोग चलाये जाने हेतु अनुमति आदेश	प्रदर्श क–04	पी०डब्लू०–03 विवेचक निरीक्षक शैलेश त्यागी

8– अभियोजन पक्ष की साक्ष्य समाप्ति पर अभियुक्तगण का कथन अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 दिनांक 02.02.2026 को अंकित किया गया, जिसमें प्रत्येक अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक को गलत कार्यवाही करना बताया है तथा वे निर्दोष है। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–01 के कथानक को गलत बताया गया है। साक्षी पी०डब्लू०–02 के कथानक को झूंठी गवाही देना तथा उक्त मुकदमें भी असत्य बताया है। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू0–03 एवं पी०डब्लू०–4 के कथानक को असत्य कथन तथा झूंठी गवाही देना बताया है। साक्षीगण के साक्ष्य के सम्बन्ध में रंजिश के कारण गवाही देना बताया गया है। अभियोग को झूॅठा मुकदमा चलना बताया है तथा सफाई साक्ष्य देने का कथन करते हुए कहा है कि वे निर्दोष है। उनके ऊपर पुलिस ने झूंठा मुकदमा किया है।

9– अभियुक्तगण की ओर से सफाई/साक्ष्य में फेहरिस्त 98ब/1 से अ०सं०–189/2008, धारा 302 भा०दं०सं०, थाना मिरहची, जिला एटा से सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या–896/2008, राज्य बनाम दुर्गपाल आदि में पारित निर्णयादेश दिनांकित 12.10.2009 कागज संख्या 98ब/3 लगायत 98ब/7 तथा मु०अ०सं०–265/2008, धारा 384,506 भा०दं०सं०, थाना मिरहची, जिला एटा से सम्बन्धित दाण्डिक वाद संख्या–5637/2016 राज्य बनाम दुर्गपाल आदि में पारित निर्णयादेश दिनांकित 28.04.2026 की प्रमाणित प्रतिलिपि कागज संख्या 98ब/8 लगायत 98ब/10 दाखिल किया गया है।

10– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये मौखिक साक्ष्यों के कथन संक्षेप में इस प्रकार है–

11– अभियोजन पक्ष की ओर से सर्वप्रथम साक्षी **पी०डब्लू०–01 एच०एम० रामप्रकाश** को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 31.08.2008 को वह थाना मिरहची में बतौर हेड मोहर्रिर नियुक्त था। उस दिन शाम के साढे छः बजे एस०ओ० इन्द्रेश कुमार सिंह के जुबानी बोलने पर मुल्जिमान दुर्गपाल, मानपाल तथा पूरन उर्फ पुन्नी के विरुद्ध इस मुकदमें की एफ०आई०आर० उसके द्वारा अंकित की गयी। मूल चिक एफ०आई०आर० संलग्न पत्रावली उसके सामने है, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है। एफ०आई०आर० लिखने के बाद पढ़कर थानाध्यक्ष महोदय ने भी इस पर अपने हस्ताक्षर किये थे। चिक एफ०आई०आर० को देखकर गवाह ने उस पर एस०ओ० इन्द्रेश कुमार सिंह के हस्ताक्षर पहचाने, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया।

12– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि दिनांक 25.01.2008 को वह थाना मिरहची में तैनात है। उसे तीन साल से ज्यादा इसी थाने में हो चुकी है। वह आज भी हेड मोहर्रिर के पद पर तैनात है। एस०ओ० इन्द्रेश कुमार सिंह ने मौखिक रूप से सूचना दी थी, लिखित में नहीं दी थी। चिक एफ०आई०आर० को उसने तैयार किया था। चिक एफ०आई०आर० को उसने तीन प्रतियों में तैयार किया था। इसका इन्द्राज उसने दिनांक 31.08.2008 की तिथि वाले जी०डी० में किया था। यह कहना गलत है कि सूर्यास्त के बाद जी०डी० बन्द कर दी जाती है। जिस दिन ये मुकदमा लिखा था, इससे पूर्व कोई संज्ञेय व असंज्ञेय का कोई मुकदमा नहीं लिखा गया था। उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उसकी तैनाती के समयकाल में अभियुक्तगण मानपाल व पूरन उर्फ पुन्नी के खिलाफ कोई मुकदमा लूट, डकैती, अपहरण, चोरी आदि के अपराधों का नहीं लिखा गया था। यह कहना गलत है कि इस केस के वादी उसके सीनियर अधिकारी के कहने पर झूंठा मुकदमा दर्ज किया था।

13– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–02 वादी निरीक्षक इन्द्रेश कुमार भदौरिया** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 25.08.2008 को वह थानाध्यक्ष मिरहची के पद पर तैनात था। उस दिन उसके द्वारा दुर्गपाल, मानपाल व पूरन उर्फ पुन्नी जिनका एक संगठित गिरोह है, जिसका गैंगलीडर दुर्गपाल था। यह लोग निजी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपराध कारित करते थे। इनके विरुद्ध थाना मिरहची में मु०अ०सं०–265/2008, धारा 384, 506 भा0 दं0 सं0 थाना मिरहची तथा मु०अ०सं० 189/2008 धारा 302 भा0 दं0 सं0 थाना मिरहची थाने पर पंजीकृत थे। इनके विरुद्ध गैंगचार्ट उसके द्वारा तैयार करवाया गया था, जिसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से अग्रसारित कराकर दिनांक 31.08.2008 को जिलाधिकारी, एटा से अनुमोदित कराया था। गैंगचार्ट पत्रावली में कागज संख्या 4 क/1 के रूप में संलग्न है, जिस पर उसके व पुलिस अधिकारियों एवं डी०एम० के हस्ताक्षर है, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। दिनांक 31.08.2008 को ही वह वाहन चैंकिग, शान्ती व्यवस्था व जांच गैंगचार्ट में मामूर था, तो उसे मालूमात हुआ कि दुर्गपाल, मानपाल व पूरन का थाना क्षेत्र में भय व आतंक व्याप्त है। यह हत्या जैसे अपराध कारित करते हैं। जनता का कोई व्यक्ति गवाही व शिकायत करने को तैयार नहीं है। उसके द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध जुबानी सूचना के आधार पर गिरोहबंद अधिनियम का अभियोग धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना मिरहची में कायम कराया था। पत्रावली में संलग्न चिक प्रदर्श क–1 पर उसके हस्ताक्षर कायम है। थाना मिरहची पर कायम मु०अ०सं०–189/2008 धारा 302 भा0 दं0 सं0 जो श्रीमती कौशल्या द्वारा कायम कराया गया, की विवेचना उसके द्वारा भी की गयी थी। अभियुक्तगण दुर्गपाल, पूरन सिंह व मानपाल के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या–96/2008, धारा 302 भा0 दं0 सं0 में दिनांक 24.08.2008 को आरोप पत्र उसके द्वारा प्रेषित किया गया, जो पत्रावली पर कागज संख्या 10 के रूप में संलग्न है। आरोप पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में ही प्रमाणित करता है, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया।

14– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–03 विवेचक निरीक्षक शैलेश त्यागी** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 18.09.2008 को वह थाना पिलुआ पर बतौर एस०ओ० तैनात था। उक्त दिनांक को उसने उक्त मुकदमें की विवेचना ग्रहण की। दिनांक 20.09.2008 को पूर्व विवेचक द्वारा किता की गयी, सी०डी० का अवलोकन किया। दिनांक 23.09.2008 को बयान वादी इन्द्रेश सिंह का बयान लेकर सी०डी० में किता किया। दिनांक 15.10.2008 को एच०एम० सत्यप्रकाश के बयान लेकर सी०डी० में अंकित किये। दिनांक 20.10.2008 को एफ०आई०आर 0 लेखक महेश सिंह का बयान लेकर सी०डी० में अंकित किया। दिनांक 17.11.2008 को श्रीमती कौशल्या के बयान लेकर सी०डी० में अंकित

किये। दिनांक 20.11.2008 को अभियुक्तगण दुर्गपाल, मानपाल एवं पूरन उर्फ पुन्नी के बयान लेकर सी०डी० में अंकित किये और उक्त दिनांक को ही उसने दुर्गपाल मानपाल, पूरन उर्फ पुन्नी के विरुद्ध धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का आरोप पत्र प्रस्तुत किया। आरोप पत्र उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, इस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। दिनांक 24.11.2008 को इन्द्रेश कुमार भदौरिया से अपराध संख्या–189/2008 धारा 302 भा0 दं0 सं0 के सम्बन्ध में पूंछताछ कर बयान लिया। दिनांक 28.11.2008 को उपरोक्त अभियुक्तगण दुर्गपाल आदि के खिलाफ मुकदमा चलाये जाने हेतु अभियोजन स्वीकृति एस०एस०पी० महोदय से दिनांक 25.11.2008 को प्राप्त की गयी। अभियोजन स्वीकृति पत्रावली पर कागज संख्या 5 अ/1 है, इस पर तत्कालीन एस०एस०पी० महोदय के हस्ताक्षर है। उसने एस०एस०पी० महोदय को हस्ताक्षर करते देखा है। वह उनके हस्ताक्षर पहचानता है। अभियोजन स्वीकृति पर प्रदर्श क–04 डाला गया।

15– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि वह 2008 से मार्च 2010 तक थाना पिलुआ में तैनात रहा था। पूर्व विवेचक द्वारा काटे गये पर्चे पर ही कार्यवाही नहीं की गयी है बल्कि उसके द्वारा भी कार्यवाही की गयी है। पूर्व विवेचक द्वारा काटे गये पर्चों का उसने अवलोकन किया। अभियुक्तगण पर दो मुकदमे दर्ज थे। न्यायालय द्वारा 302 भा०दं०सं० से बरी करने के सम्बन्ध में उसकी कोई टिप्पणी नहीं है। धारा 384 भा०दं०सं० के मुकदमे में न्यायालय में वादिया द्वारा दिये गये बयानों पर भी उसकी कोई टिप्पणी नहीं है। उसने वादी इन्द्रेश भदौरिया का बयान दिनांक 23.09.2008 को लिया, दो बार बयान लिया था। दूसरे बयान की तारीख उसे ध्यान नहीं है। एफ०आई०आर० लेखक महेश सिंह का बयान उसने नवें महीने में लिया था, तारीख ध्यान नहीं है। उक्त दो मुकदमों के आधार पर ही अभियुक्तगण के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया गया था। वह अभियुक्तगण दुर्गपाल, मानपाल, पूरन उर्फ पुन्नी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें में जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। सभी गवाह पुलिस वाले हैं। अभियुक्तगण का जनता में भय व्याप्त था। जनता का कोई व्यक्ति इनके खिलाफ बयान देने के लिए तैयार नहीं हुआ था। इनके भय के कारण जनता का कोई व्यक्ति इनके विरुद्ध लिखने अथवा बोलने के लिये तैयार नहीं था। यह कहना गलत है कि उसने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें में निष्पक्ष विवेचना न की है। यह कहना गलत है कि उसने गवाहों के बयान गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में केवल थाने पर बैठकर ही लिये है।

16– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–04 कौशल्या** को परीक्षित कराया गया, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसके पति का नाम अमर सिंह था। अमर सिंह घर से दो बैल बेचने के लिये आज से करीब 17 वर्ष पूर्व मिरहची पैंठ में गये थे। उसके पति कभी–कभी शराब पी लेते थे। उसे शक हुआ कि कहीं उसके पति बैल बेचकर शराब में पैसे खर्च न कर दे, इसलिये उसने पति पर निगाह रखने के लिये अपने बहनौता महिपाल पुत्र नन्नू सिंह को बाद में भेजा। बैल बिकने के बाद उसके पति ने मिरहची ठेका पर जाकर शराब पी ली। वहीं पर गांव मीरापुर थाना मारहरा जिला एटा के दुर्गपाल पुत्र गंगाराम मिल गये। ठेका पर ही उसके पति और दुर्गपाल ने मिलकर शराब पी, जब खूब नशे में हो गये तो दुर्गपाल ने उसके पति से कहा कि तुमने उसके सत्तर हजार रुपये मार लिये हैं। इस बात को लेकर दुर्गपाल व उसके पति से कहा–सुनी कर दी। तब उसके पति गांव अजबपुर के कन्हई पुत्र लीलाधर के यहां जाकर मछली बनवाई और मछली खाई। तब उसके बहनौते महिपाल ने उसके पति से कहा कि रूपया बैल बेचने वाला आप हमें दे दो तो उसे हम घर ले जायें। इस बात पर दुर्गपाल और उसके पति महिपाल को गाली देने लगे और दोनों ने महिपाल को छोड़ दिया और दोनों वहीं चन्द्रभान के इंजन की छत पर चले गये। महिपाल उसके पास भागकर आ गया। तब हम महिपाल, अपने जेठोत प्रेमपाल के साथ अजबपुर के चन्द्रभान के ट्यूववैल पर पहुंचे तो उसने देखा कि तुम्हारे पति चन्द्रभान को ट्यूववैल की छत पर

दुर्गपाल और उसके साथ दो लोग और थे। उसके पति की मारपीट कर रहे थे। हम लोगों को देख कर दुर्गपाल और दोनों साथी, तीनों लोग भाग गये। महिपाल ने दुर्गपाल को पकड़ लिया, लेकिन वह छुड़ाकर भाग गया। फिर हम लोग छत पर गये और पति को देखा, उसका सिर फूट चुका था और खून बह रहा था और मर गये। तब फिर तीनों लोग रिपोर्ट करने मिरहची थाने पर गये थे। पुलिस वालों ने कहा कि रिपोर्ट पुलिस वालों को लिखवाकर लाओ और रिपोर्ट हमें दो। तब हम लोगों ने बाहर जाकर रिपोर्ट तारा सिंह से लिखवायी और थाने में आकर दी। गवाह को पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि उसने जो रिपोर्ट बाहर लिखवायी थी, वह इसी प्रकार की थी। इसके बाद जब दोनों अभियुक्तों के नाम भी उजागर हो गये तो तीनों मुल्जिमों ने उसे धमकी दी कि फैसला कर लो नहीं तो तुम्हे जान से मार देंगे और एक लाख रूपया भी मांगा। तब उसने थाने में इसकी भी रिपोर्ट करीब दो महीने बाद लिखवायी, जो रिपोर्ट थाने में लिखी गयी थी। वह इस पत्रावली में उसके सामने है।

17– विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा संगठित गिरोह के सदस्य के रूप में गैंगचार्ट में उल्लिखित अपराध कारित कर समाज में भय कारित किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा संगठित गिरोह के सदस्य के रूप में भौतिक, आर्थिक एवं दुनियावी लाभ प्राप्त किया गया है। अभियुक्तगण का समाज में इतना भय व्याप्त है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा उनके विरूद्ध कोई आवाज नहीं उठायी जा सकती। अभियुक्तगण पर हत्या, जबरन वसूली जान से मारने की धमकी जैसे अपराध कारित किये जाने का आरोप है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति के है, जिन्हें अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी0 डब्लू0–01 लगायत पी0 डब्लू0–04 द्वारा अपनी साक्ष्य से बखूबी साबित किये हैं। अभियुक्तगण द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा–02 में वर्णित अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्तगण को धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए दण्ड से दण्डित किया जाये।

18– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) के तर्कों का खण्डन करते हुए तर्क दिया है कि अभियुक्तगण को वादी मुकदमा द्वारा उपरोक्त मामले में पुलिस ने फर्जी मुकदमा लिखकर झूँठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। पुलिस द्वारा उच्चाधिकारियों को खुश करने के लिए घर से पकड़ कर उनका चालान किया गया है। अभियुक्तगण का कोई गैंग नहीं है, न ही वे किसी गैंग के सदस्य है, न ही उनका समाज में कोई भय व आतंक है, उनके द्वारा किसी से अवैध धन की वसूली नहीं की गयी है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किसी भी साक्षी की साक्ष्य में यह नहीं आया है कि अभियुक्तगण द्वारा अनैतिक क्रिया कलापों से कौन–कौन सी अवैध चल, अचल सम्पत्ति अर्जित की गयी है, ना ही पत्रावली पर इस आशय का कोई प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है। अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। अतः अभियुक्तगण अधिरोपित आरोप से दोषमुक्त होने योग्य है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया है कि गैंगचार्ट में दर्शित मुकदमें अ०सं०–265/2008, धारा 384, 506 भा०दं०सं० व अ०सं०–189/2008, धारा 302 भा०दं०सं० में अभियुक्तगण दोषमुक्त हो चुके हैं और निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की गयी है। अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। अतः अभियुक्तगण अधिरोपित आरोप से दोषमुक्त होने योग्य है।

19– मैंने, राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को विस्तार पूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का गहन परिशीलन किया।

20– इस प्रकरण के निराकरण के लिए मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु यह है कि :–

i– क्या अभियुक्तगण का एक संगठित गिरोह है और अभियुक्तगण द्वारा भा०दं०सं० के अध्याय 16, 17 व 22 के अन्तर्गत या धारा 2(ख) गैंगस्टर एक्ट में उल्लिखित अन्य अपराध कारित किये गये हैं ?

ii– क्या अभियुक्तगण का गैंगचार्ट में वर्णित अपराधों को कारित करने का उद्देश्य समाज में भय या आतंक व्याप्त करना या अभियुक्तगण द्वारा स्वयं या अन्य व्यक्ति के लिए भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ प्राप्त करना था ?

–निष्कर्ष–

21– प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन के उपरान्त साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एवं उचित क्रमबन्धन की दृष्टि से उपरोक्त दोनों विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

22– पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि अभियुक्तगण दुर्गपाल, मानपाल एवं पूरन उर्फ पुन्नी के विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही उसके विरूद्ध दर्ज मु०अ०सं०–189/2008, धारा 302 भा०दं०सं०, थाना मिरहची, जिला एटा बनाम दुर्गपाल, मानपाल एवं पूरन उर्फ पुन्नी, मु०अ०सं०–265/2008, धारा 384,506 भा०दं०सं०, थाना मिरहची, जिला एटा बनाम दुर्गपाल, मानपाल एवं पूरन उर्फ पुन्नी के आधार पर की गयी थी। दौरान विचारण बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अ०सं०–189/2008 से सम्बंधित सत्र परीक्षण संख्या–896/2008 में पारित निर्णय दिनांकित 12–10–2009 कागज संख्या 98ब/3 लगायत 98ब/7 तथा मु०अ०सं०–265/2008 से सम्बन्धित दाण्डिक वाद संख्या–5637/2016 में पारित निर्णय दिनांकित 28–04–2026 कागज संख्या 98ब/8 लगायत 98ब/10 दाखिल की गयी है। उक्त निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण को अ०सं०–189/2008 एवं अ०सं०–265/2008 के मामलों में दोषमुक्त किया जा चुका है।

23– उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम, 1986 की धारा–3(1) के अन्तर्गत आरोप साबित करने के लिए अभियोजन को मुख्यतः निम्नलिखित तथ्यों को साबित किया जाना चाहिए:–

i. अभियुक्तगण का एक संगठित गिरोह है।

ii. अभियुक्तगण द्वारा भा०दं०सं० के अध्याय 16, 17 व 22 के अन्तर्गत या धारा 2(ख) गैंगस्टर एक्ट में उल्लिखित अन्य अपराध कारित किये गये हों।

iii. इन अपराधों को कारित करने का उद्देश्य–

(अ)–समाज में भय या आतंक व्याप्त करना या

(ब)–अभियुक्तगण द्वारा स्वयं या अन्य व्यक्ति के लिए भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ प्राप्त करना हो।

गिरोह की परिभाषा धारा 2(ख) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 में निम्न प्रकार दी गयी हैं–

''गिरोह'' का तात्पर्य–ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो लोक–व्यवस्था को अस्त–व्यस्त करने या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित दुनियावी (टैम्पोरल), आर्थिक–भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या तो अकेले या सामूहिक रूप से हिंसा, या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन, या अभित्रास, या प्रपीड़न द्वारा, या अन्य प्रकार से भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अध्याय 16, 17 व 22 के अधीन दण्डनीय अपराध, संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 अथवा एन०डी०पी०एस० एक्ट अथवा अन्य किसी अधिनियम के प्रावधानों में अपराध करना या विधि सम्मत प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया द्वारा सम्पत्ति, स्थावर सम्पत्ति पर अध्यासन करना या कब्जा लेना, या स्थावर सम्पत्ति पर चाहे स्वयं या अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष

में हक या कब्जा के लिए मिथ्या दावा करना, या किसी लोक सेवक या किसी साक्षी को अपने विधिपूर्ण कर्तव्यों का पालन करने से रोकना या रोकने के लिए प्रयत्न करना, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 या सार्वजनिक द्युत अधिनियम 1867 (अधिनियम सं03 सन् 1867) की धारा 3 के अधीन दण्डनीय अपराध, या किसी व्यक्ति को विधिपूर्ण नीलामी आदि में निविदा करने से रोकने, किसी व्यक्ति को अपने विधिपूर्ण कारोबार, वृत्ति, व्यापार या जीविका या उससे सम्बद्ध किसी अन्य विधिपूर्ण क्रियाकलाप को सुचारू रूप से करने से रोकना भा०दं०सं० की धारा 171 ई से सम्बन्घित अपराध या उसमें विघ्न डालना, या जनता में दहशत संत्रास या आतंक फैलाना, या फिरौती उद्योपति करने के आशय से किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करना, या अन्य उल्लिखित समाज विरोधी क्रिया कलाप करते हैं।

''गिरोहबन्द'' का तात्पर्य–किसी गिरोह के सदस्य या सरगना या संगठक से है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो खण्ड (ख) में प्रमाणित किसी गिरोह के क्रिया कलाप के लिए, चाहे ऐसे क्रिया कलाप के लिए जाने के पूर्व या पश्चात, दुष्प्रेरित करता है या उसमें सहायता देता है, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसे क्रिया कलाप किये हो, संश्रय देता है।

गैंग की परिभाषा–से यह स्पष्ट है कि गैंग का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के समूह है जो हिंसा या हिंसा का भय दिखाकर धारा 2 (ख) में उल्लिखित अपराधों को इस उद्देश्य से कारित करे कि–

1–समाज में भय व आतंक व्याप्त हो या

2–अभियुक्तगण ने भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ प्राप्त किये हो।

24– अभियोजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में एच०एम० रामप्रकाश को पी0 डब्लू0–01 के रूप में परीक्षित कराया है। उक्त साक्षी के द्वारा अ०सं०–270/2008, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट की एफ०आई०आर० को प्रदर्श क–1 के रूप में अपने लेख व हस्ताक्षर से साबित किया गया है।

25– अभियोजन द्वारा अपने मामले को साबित करने के लिए पी0 डब्लू0–02 निरीक्षक इन्द्रेश कुमार भदौरिया को अभियोजन साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया है, जो कि उक्त प्रकरण के वादी मुकदमा है। उक्त साक्षी के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है और गैंगचार्ट को प्रदर्श क–2 को अपने हस्ताक्षर एवं एफ०आई०आर० को प्रदर्श क–1 को उसके द्वारा जुबानी बोलने पर किता किया जाना बताते हुए साबित किया गया है तथा आरोप पत्र संख्या–96/2008, अ०सं०–189/2008 को प्रदर्श क–3 के रूप में अपने लेख व हस्ताक्षर से साबित किया है। उक्त साक्षी से अभियुक्तगण की ओर से जिरह नहीं की गयी है।

26– अभियोजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में निरीक्षक शैलेश त्यागी पी0 डब्लू0–03 को परीक्षित कराया गया है, जो कि उक्त प्रकरण के विवेचक है। उक्त साक्षी के द्वारा आरोप पत्र संख्या–150/2008, अ०सं०–270/2008 को अपने हस्ताक्षर से प्रदर्श–3ए के रूप में साबित किया है तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति को प्रदर्श क–4 को तत्कालीन एस०एस०पी० द्वारा देना बताते हुए उनके हस्ताक्षर से साबित किया है। इस साक्षी ने अपनी जिरह के पेज क्रमांक–3 में कथन किया है कि गैंगस्टर के मुकदमें में जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, सभी गवाह पुलिस वाले हैं।

27– इस प्रकार उक्त साक्षी के बयान के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके द्वारा गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत विशिष्ट घटक के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य संकलित करने की ना तो चेष्टा की गयी और ना ही ऐसा करने में वे सफल रहे है। जबकि यह साक्षी मामले का विवेचक है। अभियोजन साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त द्वारा क्या–क्या आर्थिक व भौतिक लाभ अर्जित किये गये तथा किस प्रकार से समाज में उनका डर व आतंक व्याप्त था। उपरोक्त परिस्थिति अभियोजन के मामले को पूर्णतः खण्डित करती है और ऐसे साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी ठहराने का आधार पर्याप्त नहीं है।

28– प्रकरण में अभियोजन के द्वारा महत्वपूर्ण साक्षी पी0 डब्लू0–04 कौशल्या को परीक्षित कराया गया है, जो गैंगचार्ट प्रदर्श क–2 में वर्णित मु0 अ 0 सं0–189/2008 की वादिया मुकदमा है। उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि हम महिपाल, अपने जेठोत प्रेमपाल के साथ अजबपुर के चन्द्रभान के ट्यूववैल पर पहुंचे तो उसने देखा कि तुम्हारे पति चन्द्रभान को ट्यूववैल की छत पर दुर्गपाल और उसके साथ दो लोग और थे। उसके पति की मारपीट कर रहे थे। हम लोगों को देख कर दुर्गपाल और दोनों साथी, तीनों लोग भाग गये। महिपाल ने दुर्गपाल को पकड़ लिया, लेकिन वह छुड़ाकर भाग गया। फिर हम लोग छत पर गये और पति को देखा, उसका सिर फूट चुका था और खून बह रहा था और मर गये। तब फिर तीनों लोग रिपोर्ट करने मिरहची थाने पर गये थे। उक्त साक्षी से भी अभियुक्तगण की ओर से जिरह नहीं की गयी है और साक्ष्य पत्रक में लेख है कि अभियुक्तगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है, इसलिए जिरह का अवसर समाप्त किया गया। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि अभियुक्तगण की ओर से मूल अपराध संख्या–189/2008, धारा 302 भा०दं०सं० में पारित निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है, जिसमें उक्त साक्षी वादिनी मुकदमा है और विद्वान न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 12–10–2009 में उक्त साक्षी के सम्बन्ध में अवधारित किया गया है कि उक्त साक्षी ने जानबूझकर न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य दिया है। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें का मूल आधार गैंगचार्ट प्रदर्श क–2 में वर्णित उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या–189/2008 है, जिसमें अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जा चुका है, इसलिए इस प्रकरण में उक्त साक्षी की साक्ष्य को विश्वसनीय अवधारित नहीं किया जा सकता।

29– इस अधिनियम के अन्तर्गत आर्थिक लाभ से तात्पर्य कुछ धनी लाभ से है, जब कोई व्यक्ति धनी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसा कोई कार्य करता है, जो अधिनियम की धारा 2(ख) में परिभाषित अपराधों की परिधि में आ जाता है, तो वह आपराधिक कृत्य इस अधिनियम के प्रावधान को अकृष्ट करता है। हस्तगत मामलों में अभियोजन साक्षी एच०एम० रामप्रकाश (पी०डब्लू०–01), निरीक्षक इन्द्रेश कुमार भदौरिया (पी०डब्लू०–02), निरीक्षक शैलेश त्यागी (पी०डब्लू०–03) एवं कौशल्या (पी०डब्लू०–04) के न्यायालयीन कथनों से स्पष्ट है कि अभियुक्त ने कोई चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त नहीं की है ओर न ही भौतिक व आर्थिक रूप से सम्पत्ति कमायी गयी है। इसी प्रकार भौतिक या दुनियावी लाभ या अन्य लाभ से तात्पर्य कोई ऐसा लाभ प्राप्त करने से है, जो उस अपराध करने वाले व्यक्ति को सुख, सुविधा में वृद्धि करता है या उसकी अहम की चेष्टा की पूर्ति करता है या समाज में उस गिरोह की धमक कायम करने की क्षमता रखता है। उक्त गिरोह उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किये जा रहे उस आपराधिक कृत्य हिंसा या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन अथवा प्रपीड़न द्वारा प्राप्त कर रहा है, तब यह माना जायेगा कि उस गिरोह के द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य इस अधिनियम के प्रावधान को आकर्षित कर रहा है। वर्तमान मामले में अभियोजन द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है कि अभियुक्त के द्वारा कौन सी सुख सुविधा में वृद्धि की गयी और समाज में उनकी धमक किस प्रकार से कायम रही।

30– इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंगचार्ट प्रदर्श क–2 में दर्शित मु0 अ 0 सं0–189/2008 (निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि कागज संख्या 98 ब/3 लगायत 98 ब/7) में पारित निर्णय दिनांकित 12–10–2009 एवं अ०सं०–265/2008 (निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि कागज संख्या 98 ब/9 लगायत 67 ब/10) में पारित निर्णय दिनांकित 28–04–2026 के माध्यम से अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जा चुका है। हस्तगत प्रकरण में मुलतः इन्हीं मुकदमों के आधार अभियुक्तगण के विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी तथा मामले के विवेचक को अभियुक्तगण द्वारा अवैध धन अर्जित करने तथा उसका समाज में भय व आतंक व्याप्त होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य न मिला हो तो ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को

गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा विधि व्यवस्था **अब्दुल कादिर खॉन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 ए0एच0सी0 5837** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अगर अभियुक्त को न्यायालय द्वारा उन मुकदमों में दोषमुक्त कर दिया गया है जिनके आधार पर उसके विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है तो अभियुक्त को गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी करार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **यामीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2025 ए0एच0सी0 175690** में भी अवधारित किया गया है कि यदि मूल केस जिसके आधार पर गैंगस्टर की कार्यवाही की गयी है, यदि वह केस समाप्त कर दिया जाये तो गैंगस्टर अधिनियम की कार्यवाही की नीव ही खत्म हो जाती है। इस प्रकार उपरोक्त विधि व्यवस्था के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर अभियुक्तगण को उन सभी मुकदमों में न्यायालय द्वारा विचारणोपरान्त उनके विरूद्ध अधिरोपित आरोपों से दोषमुक्त किया जा चुका है तो उनके विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत विचारण करने का कोई आधार शेष नहीं रह जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **Farhana Vs. State of U.P. (2024 SCC OnLine SC 159)** में अवधारित किया गया है कि **"एक बार जब आधारभूत मामला (Base Case) पहले ही निरस्त किया जा चुका हो या अभियुक्त उसमें दोषमुक्त हो चुका हो तो गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत आक्षेपित कार्यवाही जारी नहीं रह सकती, ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण प्रक्रिया पोषणीय नहीं है और वह निरस्त किये जाने योग्य है।"** इस प्रकरण में गैंगचार्ट प्रदर्श क–2 में वर्णित मुकदमों में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जा चुका है।

31– इस प्रकरण में अभियोग पत्र प्रदर्श क–03 पर दिनांक 17–12–2008 को प्रसंज्ञान लिया गया है। उस समय गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत विवेचना हेतु शासनादेश संख्या–12/6–पु०–11–2004–58 (रिट)/2003 दिनांकित 02 जनवरी 2004 प्रचलित था। उक्त शासनादेश के पैरा नं०–08 में स्पष्टतः उल्लेख है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों की विवेचना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जाये। इस प्रकरण में आरोप पत्र दिनांक 20–11–2008 को किता किया गया है, जबकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से अभियोग चलाये जाने की अनुमति दिनांक 25–11–2008 को ली गयी है। इस प्रकार विहित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया है।

32– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टान्त **स्टेट आफ यू०पी० बनाम गंभीर सिंह (2005) 11 एस०सी०सी० 271** में यह मत व्यक्त किया गया है कि पत्रावली पर अभियोजन ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं उससे दो प्रकार के निष्कर्ष निकल रहे हैं, एक अभियुक्त के पक्ष में जाता है और दूसरा अभियोजन के पक्ष में तो जो विचार अभियुक्त के पक्ष में जा रहा है उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

33– न्यायालय के मतानुसार उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्तगण को गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी ठहराये जाने के लिए कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। गैंगचार्ट प्रदर्श क–2 में उल्लिखित मामला अ०सं०–189/2008 एवं अ०सं०–265/2008 के प्रकरण में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जा चुका है। अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य से यह स्थापित नहीं है कि अभियुक्तगण के पास कोई चल, अचल सम्पत्ति अपराध से अर्जित की गयी थी। इसके अतिरिक्त अभियोजन गिरोहबंद अधिनियम के विशिष्ट घटक को अतुल्य साक्ष्य से साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण अधिरोपित आरोप में संदेह का लाभ पाकर **दोषमुक्त** किये जाने योग्य है।

–आदेश–

अभियुक्तगण **दुर्गपाल, मानपाल एवं पूरन उर्फ पुन्नी** को **जी0एस0टी0 संख्या–568/2008, उ0प्र0 राज्य** बनाम **दुर्गपाल आदि**, मुकदमा **अपराध संख्या–270/2008**, थाना **मिरहची**, जिला **एटा** के प्रकरण में उनके विरूद्ध अधिरोपित आरोप अंतर्गत धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 से **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं। अभियुक्तगण के निजी बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं एवं जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437ए (धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के प्रावधान के अनुपालन में मुव०–20,000/–20,000/–रूपये (बीस हजार–बीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि की दो–दो जमानते न्यायालय में अन्दर सप्ताह दाखिल करें कि इस निर्णय के विरूद्ध कोई अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करने पर अभियुक्तगण अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगें।

दिनांक 05–05–2026

(कमालुद्दीन)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–03, एटा।
J.O. Code U.P. 2690

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

दिनांक 05–05–2026

(कमालुद्दीन)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–03, एटा।
J.O. Code U.P. 2690